कार्य का नामः– रूकमणी विहार आवासीय योजना वृन्दावन स्थित मल्टीलेबिल पार्किंग के दैनिक संचालन, रखरखाव एवं हस्तान्तरण का कार्य।

निविदा दिनांक– 4.11.2016 **कार्य की अवधि– दो वर्ष**
धरोहर धनराशि– रू0 6.00 लाख **निविदा का मूल्य–रू0 1050.00 (वेट सहित)**

निविदादाताओं हेतु सामान्य निर्देश, निविदा एवं ठेके की नियम व शर्तें ।

1. **पार्किंग स्थल का विवरण :–**

कुल पार्किंग क्षमता : लगभग 600 वाहन (कार)
न्यूनतम आरक्षित मूल्य (दो वर्षों के लिये): रू0 12,00,000/–(रू0 बारह लाख मात्र)

2. **निविदा हेतु अर्हतायें :–**

निविदायें टू–बिड सिस्टम के अनुसार दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफों में प्राप्त की जायेगीं जिसमें प्रथम तकनीकी बिड तथा द्वितीय वित्तीय बिड का होगा । तकनीकी बिड वाले लिफाफे में नीचे प्रस्तर–3 में उल्लेखित समस्त वांछित विवरणानुसार प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों को संलग्न करना होगा तथा वित्तीय बिड वाले लिफाफे में केवल निविदा की दरें निर्धारित प्रारुप (संलग्नक :– क) पर अंकित करनी होगी ।

3. तकनीकी बिड वाले लिफाफे में निम्नलिखित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

(i) न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 50 प्रतिशत राशि 6,00 लाख (छः लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो सचिव, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय होगा, धरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(ii) निविदादाता का मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड।

(iii) जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

(iv) पैन कार्ड की छायाप्रति।

(v) इस आशय का शपथपत्र कि निविदा दाता को पूर्व में किसी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नंही किया गया है तथा निविदादाता पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

(vi) इस आशय का शपथ पत्र कि निविदादाता का कोई रिश्तेदार/सम्बन्धी मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण में सेवारत नहीं है।

(vii) सरकारी/अद्धसरकारी/निगमों आदि विभागों में विगत दो वित्तीय वर्षों (2014–15 **व** 2015–16) में पार्किंग संचालन के सम्पादित कार्यों के संतोषजनक क्रियान्वन के अनुभव होने से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र/अभिलेख ।

(viii) विगत दो वित्तीय वर्षो (2014–15 **व** 2015–16) का आयकर रिटर्न प्रमाण–पत्र एवं फर्म/कम्पनी की दशा में बैलेन्स–शीट का विवरण ।

(ix) निविदा की समस्त शर्ते मान्य होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र । (संलग्नक – ख)

(x) सेवाकर विभाग में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)

4. निविदादाता द्वारा समस्त निविदा प्रपत्रो पर हस्ताक्षर करने होगें एवं सशर्त, अपूर्ण निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी। निविदादाता द्वारा अपनी दरें निर्धारित प्रारुप (संलग्नक– क)

में स्पष्ट रुप से अंकित करनी होगी । शब्दों एवं अंको में दरों के भिन्न होने की दशा में उच्च दरें मान्य होगी ।

5. निविदादाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व स्थल की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेगा । सफल निविदादाता प्राधिकरण की शर्तों एवं नियमों के अनुरूप जहॉ है, जैसा है, के अनुसार पार्किंग का संचालन एवं शुल्क वसूली का अधिकार दिया जायेगा ।

6. निविदादाता द्वारा निविदायें टू–बिड सिस्टम के आधार पर अलग–अलग लिफाफों में सीलबन्द की जायेगी तथा उन लिफाफों पर बिड का नाम एवं पार्किंग स्थल का नाम ''रूक्मणी विहार मल्टीलेवल पार्किंग'' अंकित किया जायेगा। यदि उपरोक्तानुसार निविदा प्रस्तुत नहीं की जाती है तो निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

7 बिना धरोहर धनराशि की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । असफल/अस्वीकृत निविदाता की धरोहर धनराशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जायेगी । सफल/स्वीकृत निविदादाता की धरोहर धनराशि जमानत धनराशि में समायोजित की जायेगी ।

8. ठेका स्वीकृत होने के पश्चात एक सप्ताह में सम्पूर्ण अवशेष धनराशि प्राधिकरण में जमा करानी होगी तथा 10 प्रतिशत आरक्षित मूल्य की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0, जो सचिव, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के नाम बंधक होगी, अथवा बैंक गारण्टी प्रस्तुत करनी होगी, जो ठेका संचालन की अवधि तक प्राधिकरण के पास जमा रहेगी । यदि नियम व शर्तों का उल्लघंन किया जाता है या पार्किंग स्थल पर किसी प्रकार की टूट–फूट या किसी प्रकार के उपकरण की क्षति होती है तो ऐसी स्थिति में क्षति पूर्ति की कटौती करते हुये शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी अथवा सम्पूर्ण रूप से जब्त कर ली जायेगी। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

9. निविदा स्वीकृत होने तथा स्वीकृति की सूचना सफल निविदादाता को प्राप्त होने के 07 दिन के अन्दर निविदा की कुल धनराशि का 15 प्रतिशत सेवाकर जमा करना होगा तथा निविदा की कुल धनराशि पर नियमानुसार निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर निर्धारित शर्तों के पालन हेतु प्राधिकरण के साथ अनुबन्ध करना होगा । सेवाकर प्राधिकरण कोष में जमा करने तथा अनुबन्ध पत्र निष्पादित किये जाने उपरान्त ही पार्किंग का कब्जा ठेकेदार को दिया जा सकेगा ।

10- निविदादाता द्वारा दी गई निविदानुसार किसी भी शर्तों का उल्लघंन करने, सफल/स्वीकृत निविदादाता द्वारा ठेके की बोली की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित अवधि में जमा न करने अथवा कार्यदेश जारी होने के उपरान्त पार्किंग का संचालन कार्य एवं अनुबंध नहीं कराये जानें या किसी अन्य विवाद की स्थिति में पार्किंग ठेका स्वीकृत करने/अस्वीकार करने/निरस्त करने तथा धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण में निहित होगा। इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय का निर्णय अन्तिम सर्वमान्य तथा बाध्यकारी होगा ।

11. पार्किंग स्थल का स्वामित्व मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण में ही निहित होगा । संचालनकर्ता ठेकेदार को मात्र ठेके/अनुबंध की शर्तो के अनुसार पार्किंग का संचालन एवं शुल्क वसूली का अधिकार होगा ।

12. पार्किंग का संचालन एवं शुल्क की वसूली की अनुमति दिनांक...................... से अथवा कार्यादेश में उल्लेखित तिथि से दो वर्ष के लिये ही मान्य होगी तथा उपरोक्त अवधि समाप्त होने पर ठेकेदार का कब्जा/ठेका स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

13. यदि पार्किंग स्थल पर कब्जा सम्बन्धित निविदादाता को दिये जाने के पश्चात् किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है अथवा किसी पक्षकार द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उस दशा में निविदादाता द्वारा लिखित प्रत्यावेदन मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा । ऐसे प्रकरणों पर निर्णय करने का अधिकार मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का होगा जो अन्तिम व बाध्यक ।

पढ़ी लिखी लड़की, रोशनी घर की । पढ़े बेटियाँ, बढ़े बेटियाँ ।।

14. पार्किंग स्थल 24 घण्टे संचालित रहेगा । पार्किंग के संचालन के दौरान ठेकेदार द्वारा तैनात समस्त कर्मचारी/स्टॉफ द्वारा निर्धारित यूनिफार्म (मय आई कार्ड) पहनी जायेगी ।

15. ठेकेदार द्वारा स्थल पर 4 X 2.5 फीट का सूचना पट जिस पर ठेकेदार का नाम व पता, स्थल एवं दर की सूची अंकित हो लगवाया जायेगा । जिसकी देखरेख व सुरक्षा का दायित्व ठेकेदार का होगा । पार्किंग स्थल का प्रयोग टैक्सी/बस/आटो स्टैण्ड अथवा पार्किंग से भिन्न किसी अन्य प्रकार से नहीं किया जायेगा ।

16. पार्किंग स्थल पर खडे होने वाहनों की गहन जांच वाहन खडे होने से पहले सुरक्षा की दृष्टि से कराने की व्यवस्था अपने व्यय पर ठेकेदार को करनी होगी ।

17. ठेकेदार द्वारा निम्न दर से पार्किंग शुल्क वसूली की जायेगी :–

कार एवं चार पहिया वाहन	रू0 20.00 प्रति चार घंटा
स्कूटर/मोटर साईकिल	रू0 10.00 प्रति चार घंटा
साईकिल	रू0 5.00 प्रति चार घंटा

पार्किंग में मासिक शुल्क चार पहिया वाहन हेतु रू0 1500/–, दो पहिया वाहन हेतु रू0 200/– प्राधिकरण द्वारा निर्धारित हैं, उससे अधिक की वसूली नहीं की जायेगी । पार्किंग हेतु निर्धारित दरों में सर्विस टैक्स शुल्क सम्मिलित रहेगा एवं वाहन स्वामी से सर्विस चार्ज पृथक से नहीं वसूला जायेगा। उपरोक्त दरों से अधिक की वसूली वाहन मालिकों से किये जाने पर व नियम/शर्तों का उल्लघंन करने की शिकायत सही पाये जाने पर ठेकेदार से नियम –24 के अनुसार जुर्माना वसूल किया जायेगा । पुनः उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त कर सम्पूर्ण जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

18. ठेके की अवधि में उपरोक्त पार्किंग शुल्क में किसी प्रकार की वृद्धि प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं की जायेगी । पार्किंग शुल्क में वृद्धि किये जाने की दशा में ठेकेदार को अतिरिक्त लाइसेंस फीस की धनराशि (देय सेवाकर) तथा अतिरिक्त जमानत धनराशि समानुपातिक रूप से प्राधिकरण में जमा करना होगा ।

19. पार्किंग स्थलों के ठेकेदार के लिए आवश्यक होगा कि वह मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित निम्न प्रारुप के अनुसार कूपन स्वयं के व्यय पर हैण्डहैल्ड डिवाईस पर छपवायेगा । ठेकेदार द्वारा केवल मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्थल में ही पार्किंग शुल्क वसूल किया जायेगा ।

मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण

रसीद सं0 :–		गाड़ी संख्या :–
पार्किंग स्थल का नामः–		समय :–
ठेकेदार का नाम :–		
मोबाइल नम्बर :–		
दरें :–	कार एवं चार पहिया वाहन	रू0 20.00 प्रति चार घंटा
	स्कूटर/मोटर साईकिल	रू0 10.00 प्रति चार घंटा
	साईकिल	रू0 5.00 प्रति चार घंटा

20. मा0 सांसद, मा0 विधायक, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारी, उ0प्र0 सरकार व केन्द्र सरकार के सरकारी वाहन तथा मा0 न्यायामूर्ति/मा0 न्यायधीशगण के वाहन तथा विकलांगजनो के वाहन पार्किंग शुल्क से मुक्त होगें अर्थात इनसे ठेकेदार कोई धनराशि नहीं वसूल करेगा ।

21. ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्थल पर कूपन उस (3) ो देना अनिवार्य होगा जिससे पार्किंग शुल्क की वसूली की जानी है । बिना कूपन के कोई वाहन पार्किंग स्थल पर खड़ा नहीं किया जायेगा ।

22. मल्टीलेवल पार्किंग के लिये हैण्डहैल्ड मशीन द्वारा पार्किंग टिकट निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा । ऐसा न करने की दशा में निर्धारित अर्थ दण्ड वूसला जायेगा एवं इसे निविदा शर्तों का उल्लघनं माना जायेगा जिसके लिये ठेकेदार का ठेका भी निरस्त किया जा सकता है ।

23 निविदादाता को प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित समस्त शर्तें/प्रतिबंध एवं अनुबंध अवधि के दौरान समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा। अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा ठेका निरस्त करने निविदादाता/ठेकेदार को भविष्य में प्राधिकरण की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबन्धित करने एवं काली सूची दर्ज किया जायेगा ।

24. **दैनिक संचालन के सम्बन्ध में अर्थदण्ड**

ठेकेदार द्वारा पार्किंग संचालन की शर्तों का उल्लघंन करने की दशा में निम्नानुसार अंकित सीमा तक अर्थदण्ड प्राधिकरण द्वारा आरोपित किया जायेगा :–

कर्मचारियों द्वारा यूनिफार्म न पहनना	रू0 5,000.00 प्रति निरीक्षण
बिना पार्किंग रसिद के वाहन खड़ा पाया जाना	रू0 5,000.00 प्रति निरीक्षण
वाहन स्वामी से अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि वसूलना	रू0 25,000.00 प्रति निरीक्षण
हैण्डहैल्ड मशीन के बिना वाहन पार्किंग स्लिप/रसीद जारी करना।	रू0 5,000.00 प्रति रसीद
नोटिस बोर्ड न लगाना	रू0 5,000.00 प्रति निरीक्षण
लिफ्ट का संचालन बंद पाया जाना	रू0 10,000.00 प्रति निरीक्षण
फायर फाईटिंग प्रणाली का कार्य वाधित होना	रू0 25,000.00 प्रति निरीक्षण
सी0सी0 टीवी केमरा का कार्य बन्द पाया जाना	रू0 25,000.00 प्रति निरीक्षण

उपरोक्तानुसार आरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

25. ठेकेदार और वाहन स्वामी के बीच उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद एवं वाहन की क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार का होगा । ठेकेदार तथा उसके कर्मचारी द्वारा पार्किंग क्षेत्र में किसी से भी अभ्रद व्यवहार नहीं किया जायेगा । वाहन और उसमें रखे किसी सामान अथवा लगी किसी एक्सेसरी के खोने अथवा क्षतिग्रस्त होने पर उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व ठेकेदार का होगा ।

26. संचालनकर्ता/ठेकेदार को ठेके की अवधि के दौरान वाहन स्वामियों की शिकायतों सम्बन्धी विवरण अभिलिखित करने हेतु शिकायत पुस्तिका स्थल पर उपलब्ध कराना होगा एवं प्राधिकरण के अवलोकनार्थ समय–समय पर प्रस्तुत करना होगा ।

27. पार्किंग स्थल पर ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का स्थाई/अस्थाई निर्माण नहीं कराया जायेगा और न ही पार्किंग स्थल में किसी भी प्रकार की दुकान इत्यादि लगवाई/लगाई जायेगी और न ही बांस, टट्टर आदि से घेर कर अथवा अन्य प्रकार का अतिक्रमण किया जायेगा ऐसा करने पर ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी अथवा ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

28. मल्टीलेवल पार्किंग के आंतरिक एवं वाह्य भाग पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन हेतु बोर्ड/होर्डिंग लगाये जाने हेतु प्राधिकरण का अधिकार अनुबंध अवधि में सुरक्षित रहेगा । विज्ञापन के लिये बोर्ड/होर्डिंग लगाने हेतु प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित स्थान/भाग को ठेकेदार द्वारा अतिक्रमण मुक्त रखा जायेगा तथा स्थल पर लगाये गये बोर्ड/होर्डिंग की सुरक्षा ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित की जायेगी । यदि विज्ञापन बार्ड/होर्डिंग को किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जायेगी ।

पढ़ी लिखी लड़की, रोशनी घर की । पढ़े बेटियाँ, बढ़े बेटियाँ ।।

29. पार्किंग संचालनकर्ता को प्रतिदिन पार्किंग स्थल की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी । इस हेतु आवश्यक सफाई कर्मी, सफाई का समान एवं उपकरण आदि की व्यवस्था का दायित्व संचालनकर्ता का होगा।

30. पार्किंग संचालन की अनुबंधित अवधि के दौरान पार्किंग परिसर में होने वाली सामान्य टूट–फूटमरम्मत एवं विद्युत/फायर फाईटिंग उपकरणों के अनुरक्षण का दायित्व पार्किंग संचालनकर्ता का होगा ।

31. ठेकेदार द्वारा स्थल पर विद्यमान फायर फाईटिंग प्रणाली को चालू स्थिति में रखना होगा एवं सम्पूर्ण अनुरक्षण अवधि में निविदादाता/एजेन्सी द्वारा प्रणाली का समुचित रखरखाव किया जायेगा । किसी भी प्रकार की आगजनी के समय आगजनी को रोकने हेतु यदि फायर फाईटिंग प्रणाली में किसी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है जो इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं भवन संरचना, लगाये गये उपकरणों व अन्य परिसम्पत्तियों की क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा एवं प्राधिकरण द्वारा आकलित धनराशि का भुगतान निविदादाता द्वारा प्राधिकरण को किया जाना होगा एवं भुगतान न किये जाने की दशा में यह धनराशि प्राधिकरण द्वारा भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

32. ठेकेदार द्वारा सी0सी0टी0वी कैमरा प्रणाली, वाटर पंपिग प्रणाली, लिफ्ट एवं जनरेटर सेट का संचालन किया जायेगा एवं समस्त प्रणाली को चालू स्थिति में रखने के लिये आवश्यक मरम्मत/अनुरक्षण का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जायेगा एवं इस पर होने वाले व्यय का वहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा । किसी भी प्रकार की क्षति होने की दशा में क्षतिपूर्ति के रूप में प्राधिकरण द्वारा आकलित धनराशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा प्राधिकरण को किया जाना होगा एवं भुगतान न किये जाने की दशा में यह धनराशि प्राधिकरण द्वारा भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी ।

33. अनुबंध समाप्ति के पश्चात् समस्त प्रणाली– फायर फाइटिंग, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, वाटर पंपिंग, लिफ्ट, जनरेटर आदि– का हस्तान्तरण प्राधिकरण को उसी स्थिति में किया जायेगा जिस स्थिति में ठेकेदार द्वारा प्राप्त किया गया था ।

34. ठेकेदार द्वारा पार्किंग के संचालन के दौरान वाहनो के आवागमन, वाहनो की गति नियन्त्रण, ओवरलोडिंग (निर्धारित सवारी क्षमता) आदि से दुर्घटना को रोकने हेतु समुचित नियन्त्रण सम्बन्धी उपाय करने होगें, ताकि पार्किंग के भवन, स्थापित उपकरण एवं संयन्त्र, विद्यमान वाहनों को किसी भी प्रकार की क्षति न होने पायें। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

35. प्राधिकरण द्वारा मल्टीलेवल पार्किंग के वाह्य एवं आंतरिक भाग में विकसित की गई ग्रीन बेल्ट/लैण्डस्केपिंग की उचित देखभाल एवं अनुरक्षण का कार्य संचालनकर्ता ठेकेदार द्वारा अपने स्तर से स्वयं के व्यय पर किय जायेगा ।

36. पार्किंग स्थल का निरीक्षण कर आवश्यकतानुसार विद्युत कनैक्शन लगवाना तथा उक्त के विद्युत बिल का भुगतान संचालक द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा एवं भुगतान किये गये विद्युत बिलों की प्रत्येक माह की रसीद प्राधिकरण में जमा करनी होगी । अनुबंध की अवधि के समाप्ति पर पार्किंग को प्राधिकरण को वापस हस्तान्तरण किये जाने के समय विद्युत सम्बन्धी विभागों से अदेयता प्रमाण–पत्र प्राधिकरण में जमा करना होगा ।

37. पार्किंग स्थल पर निविदादाता द्वारा तैनात किये जाने वाले समस्त स्टाफ/कर्मचारी आदि का वेतन, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0, वर्दी एवं बीमा आदि के समस्त भुगतान ठेकेदार द्वारा वहन करने होगें ।

38. निविदा की अवधि में शासन/नगर पालिका वृन्दावन, म0वृ0वि0प्रा0 मथुरा द्वारा लगाये गये कर शुल्क आदि की अदायगी का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा ।

39. अपदा, दंगा, कर्फ्यू अथवा जिला प्रशासन द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध अथवा यातायात व्यवस्था परिवर्तन के कारण पार्किंग बन्द रहने पर यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो उसके लिए मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा यह क्षति ठेकेदारद्वारा वहन की जायेगी।

40. मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग स्थल के सुदृढीकरण, पुर्नउद्धार, परिमार्जन, परिसीमन अथवा पुर्ननिर्धारण कार्य कराए जाने की स्थिति में संचालक द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान नहीं किया जायेगा और इसके फलस्वरूप संचालक किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं प्रस्तुत कर सकेगा ।

41. निविदादाता/ठेकेदार, जिसके पक्ष में पार्किंग का ठेका प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत होगा, किसी अन्य व्यक्ति अथवा फर्म को उक्त ठेके का हस्तान्तरण किसी भी दशा में नहीं कर सकेगा ।

42. ठेकेदार द्वारा पार्किंग स्थल को निर्धारित अवधि के बीच में छोड देने पर जमा धनराशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जा सकेगी ।

43. न्यायालय अथवा जनहित में मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा/शासन द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत समाप्त कर दिये जाने की दशा में ठेकेदार बिना किसी आपत्ति के भूमि को खाली करने कब्जा तत्काल मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण को सौंप देगा । ऐसी दशा में निविदादाता की शेष समय की अनुपातिक धनराशि बिना ब्याज के क्रास चेक द्वारा वापस कर दी जायेगी किन्तु निविदा के दौरान यदि कुछ अवधि की कटौती जनहित में आवश्यकतानुसार मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण/शासन अथवा माननीय न्यायालय के आदेशों के अन्तर्गत की जाती है तो इस क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण का नहीं होगा और न ही ठेकेदार द्वारा इस हेतु कोई दावा प्रस्तुत किया जायेगा ।

44. निविदा प्रक्रिया/निविदा संचालन के दौरान पार्किंग की नियम शर्तों में संशोधन करने का अधिकार मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण का होगा । ठेकेदार द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त/अनुबंध का उल्लघंन करने की दशा में प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी नोटिस के ठेका निरस्त कर दें तथा ठेकेदार द्वारा जमा धनराशि जब्त कर लें । इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्रधिकरण का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

वित्तीय निविदा हेतु प्रारुप

सचिव,
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण,
मथुरा ।

विषय :– रूकमणी विहार आवासीय योजना वृन्दावन स्थित मल्टीलेबिल पार्किंग के दैनिक संचालन, रखरखाव एवं हस्तान्तरण का कार्य ।

महोदय,

उपरोक्त वर्णित कार्य हेतु आपके द्वारा आमन्त्रित निविदा के क्रम में हमारी लाइसेंस फीस की दरें निम्नवत् हैं । हम यह समझते हैं कि हमारा यह प्रस्ताव स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण में निहित होगा ।

लाइसेंस फीस (दो वर्षो हेतु) धनराशि (अंको में)	लाइसेंस फीस (दो वर्षो हेतु) धनराशि (शब्दों में)

नोटः– लाइसेंस फीस की कुल धनराशि पर 15 प्रतिशत सेवाकर ठेकेदार को अतिरिक्त जमा करना होगा ।

स्थान :–

तिथि :–

हस्ताक्षर निविदादाता.......................

नाम..

पता..

....

मोबाईल नं0.......................................

DECLARATION

I..Son/Daughter/Wife of................................ authorized signatory of the Agency/Firm, mentioned above, is competent to sign this declaration and execute this tender document ;

2- I have carefully read and understood all the terms and conditions of the tender and undertake to abide to them;

3- The information/documents furnished along with above application are true and authentic to the best of my knowledge and belief. I we, am/are well aware of the fact that furnishing of my false information/fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.

Signature of authorized person
of Tenderer

Full Name & Address :-

Seal :

Date :

Place: